बहु-सांस्क्रतिक समुदायों के आधार पर शपथ और ऐफरमेशन (पुष्टि) के बारे विचार विर्मश

निर्देषन की अवधि

विधान सभा विकटोरिया की ओर से विकटोरियन कानून सुधार समिति को आदेश दिया है कि वह बहु-सांस्क्रतिक समुदायों के आधार पर शपथ प्रणाली और विकटोरियन आदालतों मे विधि-सम्मत घोषणा और शपथ-पत्र के बारे पूछ-ताछ करें । विशेष तौर पर समिति को निमन को ध्यान मे रखना होगा :

अ) विशेष रुप मे गवाहों, अन्य दल के सदस्य और जियुरी सदस्यस्यों के सामने पावन विषय रखते समय उनके धर्म के महत्त्व दा ध्यान रवखा जाये ।

ब) विषेप विशय के उचित होने का प्रबन्ध और विकटोरियन सीमा मे उसका नियूनत्म स्तर निरधीति किया जाये ।

स) आदालतों के सभी कर्मचारियों और वह सभ लोग जिनके आगे शपथ-पत्र लिये जाते हैं और अन्य सभी व्यवित जो सभी सूक्ष्म क्रियांयों का प्रबन्ध करते हैं, को सांस्क्रतिक जानकारी होनी चाहिये ।

ड) उनहे यह भी देखनां होगा कि वर्ग तथा समूह दोनो मे जो लोग शपथ-पत्र और विधि-सम्मत घोषणा पत्र लेते हैं वया वह विवटोरियन भिन्नता समुदायों मे विचारशील और लोगों की आसान पहुँच मे हैं ।

यह सूचना पत्र उन संस्थायों और व्यवितगत की सहायता के लिये है जो समिति को आम सुनवाई समय किसी प्रकार का लिखत निवेदन पत्र अथवा मौखिक गवाही देना चाहते हैं । इस पत्र मे दिये गये प्रशन केवल समस्यायों के बारे हैं जो समिति के विचाराधीन हैं परन्तु सम्पूर्ण नहीं हैं ।

वर्तमान कानून मे शपथ और पुष्टि

आदालत तथा टराईबियूनल के आगे मौखिक गवाही देने से पहले गवाह को शपथ तथा पुष्टि द्वारा यह मानना होता है कि जो गवाही वह देने जा रहे हैं वह सच्ची होगी । शपथ तथा पुष्टि जियूरी मैंबर तथा उन लोगों के लिये भी है जो आदालत को लिखत (शपथ-पत्र के रूप मे जिसका वियुरा नीचे दिया है) रूप मे गवाही देना चाहते हैं । इस लिये शपथ तथा पुष्टि कानून की एक ऐसी कार्य-विधि है जिससे व्यवित की गवाही को साच्ची माना जाता है ।

विवटोरिया के कानून मे शपथ और शपथ लेना और शपथ-पत्र और विधि-सम्मत घोषणा ऐवीडैंस ऐकट १९५८ (विवटोरिया) पर आधारत है ।

शपथ लेना

साधारण ढँग से शपथ बाईबल पर हाथ रख कर ली जाती है और बोलकर कहा जाता है, "मै भगवान की सौगन्ध खाता/ खाती हूँ" ऐवीडैंस ऐवट अनुसार आदालत का उच्च-कर्मचारी प्रशन न करते हुये ऐसी शपथ ग्रहण कराये ।

- जब तक कि शपथ लेने वाला व्यवित शपथ लेने से इन्कार न करे तथा शरीरक तैर पर इस योग्य न हो ।
- जब तक कि शपथ दिलाने वाला कर्मचारी यह न सोच पाये कि व्यवित को बाईबल पर भरोसा नहीं और वह शपथ ले कर भी सच्च नहीं कहेगा ।

ऐवीडैंस ऐकट व्यवित के अपने धर्म के अनुसार भी शपथ लेने की सुविधा देता है । ऐकट के अनुसार "कोई भी शपथ किसी प्रकार से भी ली गई हो कानूनी तैर पर सही मानी जाती है।"

पुष्टि करना

ऐवीडैंस ऐकट गवाह और दूसरे व्यवितयों को शपथ की अपेक्षा पुष्टि (वचन लेना) करने की भी अनुमति देता है ।

- जो व्यवित शपथ लेने से इन्कार करे ।
- यहां तक शपत्थ लेना कार्य-विधी मे वाधा डाले और शपथ लेना व्यवित के धर्म के अनुकूल न हो।

पुष्टि मे बाईबल तथा अन्य धारमिक ग्रन्थ शामिल नहीं हैं । "मै भगवान की सौगन्ध खाता हूँ" कहने की अपेक्षा व्यवित कहता है, "मै -----ईमानदारी और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और पुष्टि करता हूँ ---।"

ऐवीडैंस ऐकट द्वारा माना जाता है कि शपथ और पुष्टि मे कोई अन्तर नहीं है । यहां एक महत्त्वपूर्ण बात ये है कि जो व्यवित किसी धर्म मे विशवाष नहीं रखता उसके लिये शपथ की कोई प्रबलता नहीं है ।

चर्चा के विषय

निर्देशन की चार स्थितियों का निरीक्षण करने से पहले यह महत्त्वपूर्ण है कि विश्व-व्यापी विषय को देखा जाये जो इस पढताल के परिणामो पर प्रभावशाली होगा । अब समिति को यह देखना होगा कि वया हम धार्मिक शपथ के क्रिया-क्रम को चालू रखें तथा शपथ की प्रथा को पुष्टि और ईमानदारी से सच्च बोलने के वचन मे बदल दिया जाये ।

मुख्य विश्व-व्यापी प्रशन

वया आप महसूस करते हैं :

- कि ऐकट मे दिये गये सिद्धान्त विषेप हैं (जैसे कि बाईबल तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों पर हाथ रखके शपथ लेना) ।
- बाईबल पर शपथ लेने की प्रथा को साधारण तौर पर उस धर्म की प्रथा मे बदल दिया जाये जिस पर शपथ लेने वाले व्यवित का विशवाष हो ।
- शपत्थ लेने की प्रथा को (बाईबल पर हो अथवा किसी अन्य धार्मिक ग्रन्थ पर) को अर्धामिक पुष्टि अथवा विधिपूर्ण सच्च कहने मे बदल दिया जाये ।

गवाहों, अन्य दल और जियूरी सदस्यायों के लिये पावन विषय का महत्त्व

इस भाग मे पढतालिया समिति उन लोगों की गवाही के महत्त्व को देखेगी जिनको अपने अपने धार्मिक ग्रन्थ पर हाथ रखके शपथ दिलाई गई हो ।

समिति निम्न प्रशनो के बारे आप के विचार जानने चाहेगी ।

- लोगों के लिये इस बात का वया महत्त्व है कि वय अपने धर्म के ग्रन्थ पर शपथ लें । उदाहरण के तौर पर वया विशेष धर्म तथा संस्क्रति के लोग समझते हैं कि इनकी अन्य ग्रन्थ पर ली गई शपथ का उनके लिये अपने धर्म के बराबर का महत्त्व है । वया लोग यह सोचते हैं कि इनकी दूसरे धर्म के ग्रन्थ पर ली शपथ उनको अपना धर्म मानने मे वाधा डालती है ।
- पावन विषय पर हाथ रखके शपथ लेने की व्या कार्यविधि है । उदाहरण के तौर पर वया इसके बारे कोई विशेष रस्म तथा कार्यविधि है । नियायेधीश, आदालत के कर्मचारी और अन्य लोग इसके महत्त्व को कहां तक समझते हैं ।

विषेप वर्ग के उचित विषय और विवटोरियन सीमा के अन्दर इसके नियूनत्म स्तर का प्रबन्ध

पूछ-ताछ के इस भाग मे सिमित को यह देखना होगा कि वर्तमान मे पर्याप्त मात्रा मे पावन विषय और सहायक मार्ग-दर्शक सामग्री विकटोरियन आदालतों और टराईबियूनल मे प्रयोग के लिये उपलब्ध है । समिति यह भी देखेगी कि वया इस प्रकार की सामग्री और स्तर अन्य लोगों के पास है जिन्हें शपथ-पत्र लेने का अधिकार है (जैसे वकील, जसटिस आफ दी पीस, पोलीस के सदस्य, पारलियमैंट के सदस्य आदि)। समिति निम्न प्रशनो तथा ऐसी अन्य बातों के बारे गवाहों के विचार भी सुनना चाहेगी ।

- कौनसा पावन विषय अथवा ग्रन्थ इस समय आदालतों और टराईबियूनल केपास उपलब्ध है । वया भिन्न आदालत तथा टराईबियूनल मे का यविधि भी भिन्न है । कौनसा ग्रन्थ तथा पावन विषय वकीलों और अन्य लोगों के पास उपलब्ध है जिन्हे शपथ-पत्र लेने का अधिकार है ।
- यदि आप चाहते हैं कि ऐसे पावन विषय (ग्रन्थ) आदालतों, वकीलों और अन्य लोगों जो शपथ-पत्र लेते हैं, के पास उपलब्ध होने चाहिये तो आप कम मात्रा मे उनके नाम बताएं ।

विशेष सांस्क्रतिक और धार्मिक पिछोकढ के लोगों के लिये शपथ और पुष्टि को क्रियात्मक रुप देने के लिये कौनसे पावन विषय (ग्रन्थ) होने चाहिये । उदाहरण के तौर पर वया आदालतों और टराईबियुनलों को गवाहों और जियुरर को शपथ के भिन्न ढंगों के बारे सूचनां प्रदान करनी चाहिये ।

आदालत के कर्मचारी तथा अन्य लोग जिन्हे शपथ-पत्र लेने का अधिकार है के लिये योग्य सिखलाई का प्रबन्ध

इस भाग मे पढतालिया समिति न्याय-धीश, आदालत कर्मचारी और शपथ, पुष्टि और शपथ-पत्र को क्रियात्मक रुप देने वाले अन्य उन लोगों को सांस्क्रतिक जानकारी की सिखलाई देने के महत्त्व को देखेगी ।

- वया यदि कोई है, आज-कल न्याय-धीशों और अन्य आदालती कर्मचारियों को सांस्क्रतिक जानकारी की सिखलाई दी जाती है। वया इस समय कोई ऐसी सिखलाई तथा मार्ग-दर्शन है जिससे यह पता चले कि ईसाई मत से बाहर के लोगों को शपथ और पुष्टि कैसे कराई जाये ।
- वया यदि कोई है, आज-कल जसटिस आफ दी पीस, पोलीस, वकील, पारलियमैंट सदस्य, नोटरीस पबलिक और अन्य वह लोग जिनको शपथ-पत्र लेने का अधिकार है को सांस्क्रतिक जानकारी की सिखलाई दी जाती है ।
- ऐसी सिखलाई की पेशकश कैसी है और इस मे कैसे सुधार लाया जा सकता है । वया आप आदालती कर्मचारियों और अन्य लोग जो शपथ-पत्र की शपथ तथा पुष्टि कराते हैं के अच्छे और बुरे काम की उदाहरण दे सकते हो ।
- भिन्न जातीय पिछोकड और सांस्क्रतिक परम्परा के लोग कहां तक शपथ तथा पुष्टि के महत्त्व को समझते हैं । वया उनको शपथ का महत्त्व बताया जाता है । वया उनहें शपथ तथा पुष्टि के अपने सांस्क्रतिक विषेप अधिकारों के बारे जानकारी दी जाती है ।
- वया आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमे गवाह, जियुरर तथा अन्य व्यकित की शपथ तथा पुषटि को उसकी धार्मिक श्रद्धा के आधार पर वंगारा गया हो तथा यह अनुमान लगाया गया हो कि गवाह सच्चा ब्यान नहीं दे रहा। आदालत तथा कर्मचारी कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि शपथ गवाह की अन्तर-आतमा से नहीं ली गई।

शपथ-पत्र और विधि-सम्मत घोषणा लेने वाले लोगों तक पहुँच और उनकी श्रेणी मे भिन्नता

शपथ-पत्र एक ऐसा दसतावेज है जिसमे व्यकित का लिखत रुप मे ब्यान होता है जिसको आदालती कारवार्य मे सम्पूर्ण माना जाता है । ऐसा व्यकित इस की शपथ भी ऐसे ही लेता है जैसे वय मौखिक गवाही के समय शपथ तथा पुषटि करता है ।

विधि-सम्मत धोषणा लिखत रुप मे होती है । शपथ-पत्र के मुकाबले मे विधि-सम्मत घोषणा की व्यकित को शपथ नहीं लेनी होती बलकि विधिपूर्ण घोषणा करनी पढती है कि विधि-सम्मत घोषणा मे दिया गया ब्यान सच्चा है ।

ऐवीडैंस ऐकट मे उन व्यकितयों की सूची दी गई है जो विधि-सम्मत घोषणा ले सकते हैं। इन मे जसटिस आफ दी पीस, वकील, आदालत के कर्मचारी, पोलीस आफीसर, मिउन्सीपल कौंसलरस, स्कूल प्रिन्सीपलस, बैंक मैनेजरस मनिसटरस आफ रिलिजन और अन्य पंजीकरण पेशावर जैसे डाकटर, डैंटिसटस, विटस एंव फारमासिसटस।

लोगों की श्रेणी जो शपथ-पत्र ले सकते हैं अधिक सीमित है। इनमे न्यायधीशों की बढ़ी श्रेणी, सहायक, मासटरस और उनके सहायक आते हैं । इन मे जसटिस आफ दी पीस तथा बेल जसटिस, आदालत के निर्धारित कर्मचारी, पारलियमैंट के सदस्य (वर्तमान तथा भूतकाल मे रह चुवके), वकील, नोटरीस पबलिक, पोलीस आफीसर तथा कौंसल आफीसर शामिल हैं। बहुत से अन्य पेशावर व्यकित जो विधि-सम्मत घोषणा ले सकते हौं उनको शपथ-पत्र लेने की अनुमति नहीं है । ऊपर दी गई श्रेणी के अतिरिवत कैदीयों के शपथ-पत्र वहां के रक्षक तथा जेलर ले सकते हैं ।

- वया ऊपर दी गई श्रेणी के लोग भिन्न जातीय समुदायों की आसान पहुँच मे हैं । वया वह भिन्न जातीय समुदायों के धर्म को समझते तथा उनका आदर करते हैं ।
- वया आप सोचते हैं कि भिन्न सांस्क्रति के पिछोकढ़ से आने वाले लोगों की प्रतिनिधता आज की श्रेणी के लोगों मे योग्य मात्रा मे है ।
- वया वर्तमान श्रेणी मे व्रिधि होनी चाहिये यदि ऐसा हो तो इस मे कौनसे अन्य लोगों को शपथ-पत्र तथा विधि-सम्मत घोषणा पत्र लेने के अधिकार दिये जांएं ।

अंग्रेज़ी दूसरी भाषा के रुप मे अथवा अन्य मामले

समिति उन बातों के बारे जो इस पूछ-ताछ मे शामिल हैं और नीचे दी गई हैं के बारे मे भी आपके विचार जानना चाहती है ।

- भिन्न धर्म के पावन विषय का अनुवाद कितना विषेप और सही तथा शुद्ध है ।
- जिन गवाहों की अंग्रेजी दूसरी भाषा है उन के लिये कौनसे प्रबन्ध उपलब्ध हैं । वया उनको शपथ-पत्र तथा शपथ लेते समय दुभाषियों का प्रबन्ध आसानी से किया जाता है ।
- वया जातीय तथा धार्मिक विरोध एक समस्या बनी हुई है उदाहरण के लिये वया लोगों मे एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि विशेष जातीय पिछोकढ़ के लोग आवश्यक एक ही विशेष धर्म को मानते हैं ।

- आज जब यह कहा जाता है कि बाईबल पर हाथ रख कर शपथ लेना अभी भी सांस्क्रतिक परम्परा है और आसट्रेलिया मे आज भी प्रभावी है तो आप इस के बारे मे वया सोचते हैं ।

अपने विचार प्रवट करना

सुझाव देने के लिये कोई विशेष ढंग नहीं रखा गया । आप एक पत्र, एक रिपोरट अथवा आंखों देखे हाल द्वारा तथा एक लम्बे खोज पत्र द्वारा भेज सकते हैं । परिशिष्ट सामग्री जैसे वीडीओ टेपस, अन्य सामग्री और फोटोग्राफ भी भेजे जा सकते हैं जो पढ़ताल के पहिचात आप को वापस दे दिये जाएंगे ।

समिति आप को अपने हस्ताक्षरों के नीचे सुझाव भेजने को कहेगी जो आप समिति दफतर मे अंतम मिति से पहले हारड कापी, कमपूटर डिसक पर तथा ई-मेल राहीं भेज सकते हो जिस के साथ आपका हस्ताक्षर किया हुया प्रमाणित पत्र अलग से भेजा जाये ।

यदि आप किसी संस्था की ओर से हस्ताक्षर कर रहे हो तो उस संस्था का नाम और अपना पद लिखें और ये भी बतायें कि आप को किस व्यकित ने ऐसा करने कि अनुमति दी है ।

गोपनीय निति

यहां तक कि सुझाव को गोपनीय रखने के लिये बिनै नहीं की जाती सभी सुझाव जन्ता के लिये खुले आम होंगे । समिति अपनी इच्छा अनुसार सुझाव को जन्ता के लिये उपलब्ध कर सकती है और इस के निचोढ़ (खास बात) को प्रकाशित कर सकती है ।

समिति चाहती है कि वह सुझाव विब-साईट पर जन्ता के लिये उपलब्ध करे । यदि आप चाहते हैं कि आप की सबमिशन का एक भाग तथा समुची सबमिशन गोपनीय रहे तो क्रप्या सुझाव देते समय अवश्य बतायें । समिति आप को अपने फैसले के बारे बता देगी । यदि आप चाहते हो कि आप का सुझाव पढ़ताल मे प्रकाशित किया जाये तो क्रप्या समिति से इस की अनुमति ले लें ।

संसद का विशेषधिकार

लोक-सुनवाई मे लाने वाले सभी सुझाव और ब्यान संसद के विशेषधिकार द्वारा सुरक्षत होते हैं भाव सुझाव की किसी भी लिखत के कारण लेखक पर किसी प्रकार की कानूनी कारवाई नहीं की जा सकती और न ही आदालत की किसी भी कारवाई का भाग बन सकती है ।

कानून सुधार समिति के सदस्य

Mr Murray Thompson, MLA (Chairman)
Hon Dianne Hadden, MLC (Deputy Chair)
Hon Ron Bowden MLC
Hon Peter Katsambanis, MLC
Mr Telmo Languiller, MLA
Ms Andrea McCall, MLA
Mr Bob Stensholt, MLA

पढताल की समय-सूची

सुझाव डालने की अन्तम मिति १९ जुलाई २००२ है । समिति आम सुनवाई का समय १ या २ अगसत २००२ का रखने की योजना बना रही है । सुनवाई के समय यदि आप जन्ता मे भाषण देना चाहते हो तो समिति सकतरेत से इस की अनुमति ले लें ।

सर्म्पक के लिये

क्रप्या आप सैकरेटेरीएट को (०३) ९६५१ ३६४४ नम्बर पर जनतक सुनवाई के बारे और जानकारी के लिये फोन करें । सुझाव निम्न पते पर भेजें :

Executive Officer
Victorian Parliament Law Reform Committee
Level 8, 35 Spring Street
Melbourne 3004.
E-mail: VPLRC@parliament.vic.gov.au
Tel: (03) 9651 3674.